3.10 GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED NO. D. (D.) 187



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

511

दिल्ली, बहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1981/पोष 3, 1903

No. 511

DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1981/PAUSA 3, 1903

भाग IV PART IV P.U. 1867 8.0.315

भाग I में सीम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर विल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Delhi Administration other than Notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली

DELHI ADMINISTRATION. DELHI

(शिक्षा विभाग) ग्रधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

संख्याः एफ० 5/15/81-शि०/4377.--दिल्ली विद्यालय शि० प्रधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते समय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उक्त ग्रधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के ग्रधीन अपनी शक्तियों, कर्तव्यों, और कार्य को वित्त आयुक्त, दिल्ली प्रशासन प्रति-आयोजित करते हैं तथा यदि उनके समक्ष कोई प्रपील, कार्यवाही, यदि कोई निलम्बित हो तो वह भी दूसरे ग्रधिकारी को हस्तान्तरित मानी जाएगी, जो कि ऐसी अपीलों/कार्यवाही पर उसी अवस्था से कार्यवाही आरम्भ करेंगे जिस पर वे इस समय निलम्बित हों.।

> दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रणासक के नाम पर तथा उनके ग्रादेश से,

(EDUCATION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 1981

No. F.5/15/81-Edn./4377.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Delhi School Education Act, 1973 (Act No. 18 of 1973), the Administrator of the Union territory of Delhi is pleased to delegate his powers, duties and functions under sub-section (3) of Section 4 of the aforesaid Act, to the "Financial Commissioner, Delhi Administration", Delhi, and the appeals/proceedings, if any, pending before the former under those provisions of the said Act, shall be transferred to the latter who shall take up such appeals proceedings from the stage they are pending at present.

> By order and in the name of the Administrator of the Union territory of Delhi. MRS. A. MISRA, Secy. (Education)

गृह (पुलिय-II) विमाग ग्रधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

सं० एफ० 10/36/81 ए०एच०पी०-II. --जबिक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को सूचना मिली है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 को हुई एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बताया गया है कि याती लेकर नौएडा (उत्तर प्रदेश) की ग्रीर जा रही एक निजी चार्टड बस सं० डी० एल० पी० 5320 दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में कनांल रेगुलेटर चिल्ला झील के निकट हिण्डन नहर में गिर पड़ी । इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई ग्रीर कुछ के ग्रन्य व्यक्तियों को चोटें ग्राई ।

ग्रौर जबिक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक इस दुर्घटन। की गंभीरता ग्रौर उपर्युक्त व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य के घायल होने की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए इससे संतुष्ट हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाना आवश्यक है;

ग्रतः, ग्रव, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक एक मिलस्ट्रेट जांच का ग्रादेश देते हैं, जो श्री प्रदीप सिंह, ग्रातिरिक्त जिलाधीण दिल्ली द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की जायेगी:——

- उन परिस्थितियों और कारणों की जांच करना, जिनके कारण दु:खद घटना हुई, और जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11-12-81 को दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में केनाल रेगुलेटर चिल्ला झील के निकट हिण्डन नहर पर बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा खोटें आई।
- 2. दुर्घटना की माला ;
- 3. यदि दुर्घटना का उत्तरदायित्व कोई हो, तो उसे निश्चित करना ।
- 4: मिल्लिय में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उपचारी सुझाव देना।

श्री प्रदीप सिंह, अतिरिक्त जिलाधीण अपनी रिपोंट संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को इस अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तृत करेंगे।

> संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के ग्रादेश से ग्रीर उनके नाम पर, श्रीमती बि० जिंदगर, उप सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPTT.

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 1981

No.F.10/36/81-H.P-II:—Whereas information has been received by the Administrator of the Union Territory of Delhi that on 11th December, 1981 an accident has taken place as a result of which a private chartered bus, bearing No. DLP 5320, reportedly carrying passengers and proceeding to NOIDA in U.P. fell into Hindon Canal near, Canal Regulator, Chilla Jhal in the trans-Yamuna area of Delhi resulting in the death of many persons and injuries to several others.

And, whereas the Administrator of the Union Territory of Delhi, considering the gravity of the incident and also in order to ascertain the circumstances leading to the death of the aforementioned persons and injuies to others is satisfied that it is necessary to institute an Inquiry into the whole affair;

Now, therefore, the Administrator of the Union Territory of Dehli is pleased to order a Magisterial Inquiry to be conducted

by Shri Pradeep Singh, Additional District Magistrate, Delhi with the following terms:—

- To inquire into the circumstances and causes leading to the tragedy, resulting in the death of and injuries to so many persons on 11.12.81 at Hindon Canal, near Canal Regulator Chilla Jhal in the trans-Yamuna area of Delhi;
- 2. The extent of tragedy;
- 3. To fix the responsibility if any for the mishap.
- 4. To suggest remadial measures for the prevention of such incidents in future.

Shri Pradeep Singh, Additional District Magistrate shall submit his report to the Administrator of the Union Territory of Delhi within 15 days from the date of this notification.

By order and in the name of the Admiristrator of the Union territory of Delhi.

MRS. B. JINDGAR, Dy. Secy, (Home)

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ, दिल्ली ग्रादेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1981

सं० एफ० - 46/2086/77-एच०/को० ग्रा०/1001 से 1004--- दिल्ली सहकारी समितियां श्रीधिन्यम, 1972 की धारा 32 तथा उपराज्यपाल की श्रीधसूचना संख्या एफ - 46/2086/77-एच० को० ग्रा० दिनांक-- के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, श्रार० एस० सेठी, पंजीयक, सहकारी समितियां, एतद्वारा कालका जी वेस्ट फ्रेंड कोश्रापरेटिवा हाउस विल्डंग सोसायटी लि० के प्रकरण में प्रशासक की श्रवधि 15-6-82 तक बढ़ाता हू । श्री सुलतान सिंह, उप-पजीयक, सहकारी समितियां, जिन्हें श्रादेश संख्या 46/2086/एच० सह०/3494-99 दिनांक 7-9-81 द्वारा नियुक्त किया गया है, इस समिति के प्रशासक का कार्य श्रागामी श्रादेशों तक करते रहेंगे।

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES:

ORDER

New Delhi, the 14th December, 1981

No.F.46/2086/77/H/COOP./1001 to 1004:—In exercise of the powers vested in me under Section 32 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 read with the Lt. Governor's notification No.F.46/2086/77 -H/Coop. dated 14th December, 1981 I, R. S. Sethi, Registrar Copperative Societies hereby extend the period of Administrator upto 15.6.1982 in the case of the Kalkaji Best Freinds Cooperative House Building Society Ltd. Shri Sultan Singh, Deputy Registrar Cooperative Societies, Delhi shall continue to be the Administrator of the Seciety until further orders as appointed by order No.46/2086/H/Coop/34-94-99 dated 7.9.1981.

ग्रधिसूचना

संख्या: एफ-2086/77-एच०/सह०/998 से 1000.—दिल्ली सहकारी सिमितियां अधिनियम, 1972 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्हारा सहर्ष निदेश देते हैं कि कालकाजी वैस्ट फ्रेंड कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० के प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 32(1) के प्रावधान-इस सीमा तक



संशोधित रहेंगे कि तीन वर्ष की निर्धारित अवधि 15-6-82 तक लागु नहीं होगी।

(सहकारिता)

By order of Lt. Governor

R. S. SETHI, Special Secy. (Cooperation)

to direct that the provisions of Section 32(1) of the said Act

shall be modified to the extent that the period of three years

prescribed therein shall not apply to the Kalkaji Best Friends

Cooperative House Building Society Ltd. till 15.6.1982.

ले० गवर्नर के आदेश से ग्रार० एस० सेठी, विशेष सचिव

NOTIFICATION

No.F.46/2086/77-H/Coop./998 to 1000 :- In exercise of the powers conferred on him under Section 88 of the Delhi Coopcrative Societies Act, 1972, the Lt. Governor, Delhi is pleased,

सेवा विभाग ग्रधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

संख्या फा॰ 2(65)/81-सेवा(2).--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की ग्रिधसूचना संख्या फा॰ 27/59-एच॰ ग्राई० एम०(i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला परिचर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रावश्यक भर्ती पढ़ित तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न प्रनुसूची में नियम बनाते हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला परिचर के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	The second secon		सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगणाला परिचर	एक	'घ' वर्गीय ग्रराजपत्नित श्रलिपिकीय	196-3-220- द०रो०-3-232 रुप्ये	लागू नहीं ो	18 से 25 वर्ष तक (सरकारी कमेचारियों के लिए शिथिलनीय)।	ग्रनिवायं : किसी मान्यताप्राप्त परिषद्/ संस्था से वि≈ान विषय के साथ मैट्रिक या इसके समकक्षा ।
						वांछनीय : नर्सिंग अर्दली के रूप में काम करने का अनुभव ।

यदि पदोन्ति/प्रतिनिय्क्ति/स्था- यदि कोई विभागीय पदोन्तित क्या सीधी भर्ती के परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा परिस्थितियां नान्तरण द्वारा भर्ती द्वोनी हो तो वे सिमिति है तो उसकी संरचना लिए उम्मीदवारों के लिए अवधि यदि कोई या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनिय्कित/ संघ लोक सेवा आयोग निर्धारित ग्रायु व गैक्षिक स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न ग्रेड जिनसे पदोन्नित/प्रतिनिय्वित/ क्या है ? का परामर्श भर्ती के स्थानांतरण किया जाना है। पद्धतियों से भरी जाने वाली योग्यताएं पदोन्नति लिए लिया जाना है। रिवितयों का प्रतिशत। वाले उम्मीदवारों पर भी लाग होंगी। 10 11 12 9 13 दिल्ली प्रशासन के ग्रस्पतालों में लागू नहीं लागू नहीं एक वर्ष स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने लागू नहीं कार्यरत प्रयोगशाला परिचरों/ पर सीधी भृतीं द्वारा। निंसग् अर्दली आदि से स्थानां-तरण द्वारा।

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th December, 1981

No. F.2(65)/81-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home affairs Notification No. F.27/59-Him(i), dated the 13th July, 1959, the Administrator of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of laboratory Attendant in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Laboratory Attendant in the office of the Labour Commissioner: Delhi Administration: Delhi

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other quali- fications required for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7
Laboratory One Attendant	One	Group 'D' Non- Gazetted Non- Ministerial.	Rs. 196-3-220-EB- 3-232.	N.A.	18-25 years (Relaxable for Govt. servants).	Essential: Matric or equivalent with Science from a recognised
						Board/Institute. Desirable: Experience of work as Nursing Orderly.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by depu- tation/transfer and per- centage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
À.	One year	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer: Laboratory Attendant/Nursing Orderlies etc. working in Hospitals under the Delhi Administration.		N.A.



संख्या फा॰ 2 (63)81-सेवा-2.—भारत सरकार गृह मंालय की अधिसूचना संख्या फा॰ 27/59 एच॰ आई॰ एम॰(1) दिनांक 13 जुलाई, 1959 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक यहां संलग्न अनुसूची में कार्यालय अनायुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति एवं योग्यताओं के संबंध मे नियम बनाते हैं।

	कार्यालय, श्रमायुक्त,	दिल्ली प्रशासन, वि	रल्ली में प्रयोगशाला	तकनीशियन के पद के भर्ती	नियम
पदनाम पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद है ग्रथटा गैर चयन पद		सीधी भर्ती वाले उभगीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ
1 2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला तकनी- १ क ग्रु	प 'ग' ग्रराजपद्धित (श्रलिपिकीय)	330-10-380- द०रो०-12-500- द०रो-15-560- रुपये।		18-25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	श्रनिवार्य: 1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रयोगणाला तकनीशियन में डिप्लोमा प्रयवा प्रमाणपत । 3. किसी सरकारी विभाग में प्रयोगणाला सहायक के रूप में 3 वर्ष
					का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित भ्रायु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	यवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा/या प्रतिनियु- क्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	नांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/		परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा प्रायोग का परामर्श भर्ती के लिए लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- टीप :-- 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए ब्रायु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होंगी ।
 - 2- इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए भ्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों भीर अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़िगा।
 - 3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से ग्रधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पाल नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष ग्राधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
 - 4. जहां प्रशासक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अधिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/ पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्ध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
 - 5. भर्ती नियमों के कालम-6 में उल्लिखित श्रायु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (ग्रंडमान व निकाबार द्वीप समूह श्रीर लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से श्रावेदनों की प्राप्ति के लिए श्रन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, श्रायु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह श्रन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए श्राग्रह किया जाता है।

No. F. 2(63)/81-S.H.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him(i), dated the 13th July, 1959, the Administrator of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Laboratory Technician in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Laboratory Technician in the Office of the Labour Commissioner: Delhi, Administration, Delhi

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Laboratory Technician	One	Group 'C' Non- Gazetted Non- Ministerial	Rs, 330-10-380- EB-12-500-EB- 15-560.	Not Applicable	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Essential: 1. Successful completion of Senior Secondary Course with Science, from a recognised institution. 2. Diploma or Certificate Course in Laboratory Technician Course from a recognised instituton. 3. 3 years' experience as Laboratory Assistant in a Government Department.

Wheather age and educational quali- fications prescrib- de for direct re- cruits will apply in the case of pro- motees	Period of Probation if any	Method of rectt. whe- ther by direct or by promotion or by de- putation/transfer and per- centage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruit- ment
8	9	10	11	12	13 •
N.A.	One year	By direct recruitment	N.A.	N.A.	N.A.

- 1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in
- 3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
- 4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.
- 5. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

संख्या फा॰ 2(72)/80,सेंबा-(2).—गृह गंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा॰ 24(78)/68-डी॰ एच॰ (एस॰) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा अदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के अशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के बाद प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पट्टित तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

प्रणिक्षण और तकनीकी णिक्षा निदेणालय, दिल्ली प्रणासन दिल्ली में उप निदेशक (प्रणिक्षण) के पद के भर्ती नियम

पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है ग्रथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये ग्रायु सीमा	क्या (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1972 के नियम 80 के श्रन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित गौक्षिक व अन्य योग्यता
1	2	3	4	5	6	686	7
प निदेशक प्रशिक्षण)	* 1 (1981) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्नित ग्रालिपिकीय	1300-50-170 रुपये	0 चयन	45 वर्ष से ग्रधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक ग्रिश्यलनीय है) हीप :— ग्रायु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे उम्मीदवार (अच्डमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्ष-द्वीप के उम्मीदवारों के ग्रलावा) के लिये वही होगी, जो ग्राबेदन पत प्राप्त करने की ग्रन्तिम तरीख है।	6% नहीं	स्रितवार्यः (1) किसी मायन्ताप्राप्त विश्व विद्यालय से यांविकी विद्युत्/सिविल अभियां विकी/प्रौद्योगिकी में कम रे कम दितीय श्रेणी की डिप्री या इसके समकक्ष योग्यता (2) 8 वर्ष का व्यवसायिक या प्रश्नापन का स्रमुभव जिसमें किसी ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान में या किसी प्रशिक्षण संस्था में पर वेक्षणीय हैसियत का कम कम से कम पांच वर्ष का स्रमुभव होना चाहिए। टीप 1:— अन्यया मुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा
							ग्रायोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2:यदि चयन को किसी ग्रायस्था में संघ लोक सेवा ग्रायोग का यह मत है कि ग्रापेक्षित ग्रामुभव

यवस्था में संघ लोक सेवा श्रायोग का यह मत है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों श्रीर जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो इन जातियों के

(3) सहायक प्रशिक्षता सलाह-

कार जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो

भीर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/

प्रशासन, दिल्ली-

सदस्य (3) प्रशासन के संबंधित

सचिव--सदस्य

आयोग से परामशं

ग्रावश्यक है।

10

9

13

विद्युतीय/सिविल श्रभि-यांत्रिकी/श्रौद्योगिकी में डिग्री हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार श्रौर

11

(4) संबंधित विभागाध्यक्ष जबिक वे प्रशासन में पदेन सचिव न हो---सदस्य

12

(क) समरूप पद धारण करने वाले, अथवा

संघ राज्य क्षेत्र के--

- (ख) 1100-1600 के बेतनमान या इसके समकक्ष
 वेतनमान के पदों में तीन
 वर्ष की सेवा रखने वाले
 अधिकारी तथा कालम 7
 के नीचे सीधी भर्ती बाले
 उम्मीदवारों के लिये
 निर्धारित शिक्षक योग्यताएं
 एवं अनुभन्न रखने वाले
- 'क' वर्गीय विभागी पदोन्नति समिति (पुष्टि-करण पर विचार करने
- के लिये) : (1) मुख्य सचित्र, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—
- श्रध्यक्ष (2) प्रशासन के संबंधित सचिव---सदस्य
- (3) संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वे प्रशासन में पदेन सचिव न हो— सदस्य
- टीप :---पुष्टिकरण के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही ग्रायोग के ग्रन-भिजवाई मोदनार्थ जायेगी। यदि स्रायोग ग्रपना मन्मोदन प्रवान नहीं करता है तो संघ लोक सेवा ग्रायोग के प्रध्यक्ष किसी या उसके सदस्य की ग्रध्यक्षता में नयी बैठक होगी।
- टीप:--- 1. ग्रन्स्चित जाति/जनजाति तथा श्रन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीकी भर्ती के लिए श्रायु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य श्रादेशों के श्रनुसार शिथिलनीय होगी ।
 - इन नियमों को किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए ब्रादेशों के ब्रनुसार अनुसूचित जातियों मीर अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित ब्रारक्षणों ब्रीर ब्रन्य रियाश्रतों पर कीई प्रभाव नहीं प्रदेश ।
 - 3. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात सें संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष श्राधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगें।
 - 4. मर्ती नियमों के कालम—6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (श्रंडमान निकीबार द्वीप समूह और लक्ष द्वीप के उम्मीदवारों से भ्राम के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्त के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिन्न तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आप्रह किया जाता है!

No. F.2(72)/80-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968 the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission isplease I tomake rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical education, Delhi Administration, Delhi,

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical Education : Delhi Administration.

Name of post	No. of Classification posts		Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and othe qualifications required for direct recruits
- i	2 1 1 1 3	4	5	6	6(a)	7
Deputy Director (Framing)	*1 General (1981) Central *Subject to Service variation Group 'A' dependent on Gazetted workload. Non- Ministerial	Rs. 1300- 50-1700.	Selection.	Not exceeding 45 years (Relaxable upto 5 years for Government servants) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential: (i) At least Second Clast Degree in Mechanical Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised University or equivalent. (ii) 8 years' professions or teaching experience of which at least fly years should be in supervisory capacity in a reputed concern of in a training institut. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the UPS in case of candidates otherwise we qualified. Note 2: The qualification is regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates be longing to Schedule Castes and Schedule Castes and Schedule castes and Schedule castes and Schedule castes are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates be longing to Schedule Castes and Schedule castes
		130				Tribes if, at any star of selection, the UPS is of the opinion that sufficient numb
						of candidates fro these communiti possessing the requ site experience are n
				TOTAL THE SERVICE SERV		likely to be availabt to fill up the vacance reserved for them. Desirable: (i) Working knowledge various engineering abuilding trades cottage and small
Tenning of Dags	A No lines at the livered age.		a dai unga iy			scale industries. (ii) Knowledge of loc language(s). (iii) Administrative e



Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

8

in column 11

Period of Probation if any

9

2 years

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputaion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.

If a D.P.C. exists what is Circumstances in its composition

which U.P.S.C. is to be consulted in making recruit ment

direct rectt. se-

lecting an officer

on deputation

and amending/

Age: No Educational Qualifications: To the extent indicated

By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.

10

Promotion: (a)(i) Assistant Director (Training),

11

- (ii) Principal, ITIs, Pusa and Arab-ki-Sarai and Basic Training Centre; and
- (iii) Assistant Apprenticeship Adviser.
- (b) With three years' regular service in the grade and possessing Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised University or equivalent.

Transfer on deputation: Officers from the Central/State Governments and Union Territories-

- 1. (a) holding analogous posts; or
- (b) with three years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and
- 2. possessing the educational qualifications and perience prescribed for direct recruits under Column 7.
- (Period of deputation shall ordinarily not exceed three vears).

1. Group 'A' DPC (for Congulation considering promotion) with U.P.S.C.

(i) Chairman/Member of necessary while the U.P.S. C.—Chairman, making (ii) Chief Secretary, promotion,

Delhi Administration-Member.

12

- (iii) Secretary concerned for appointment in the Administration-Member.
- (iv) Head of Deptt. con- relaxing any of cerned unless he is ex- the provisions officio Secretary in the of these rules, Administration-Member.
- 2. Group 'A' DPC (for considering cor p tion).
- (a) Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi -Chairman.
- (b) Secretary concerned in the Administration -Member.
- (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration-Member.

Note:-The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be

MOTES :-

- 1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government,
- 2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
- 4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

त्रिया फा॰ 2/35/81-से॰ 2:—मृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की ग्रिधिसूचना संख्या 24/78/68-डी॰ एच॰ (एस॰) के साथ पठिल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारः प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक संघ लोक तेया आयोग से पूर्व परासर्थ करन के बाद समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में कार्यक्रम अधिकारी (समाकलित बाल विकास परियोजना) के पद पर नियुक्ति के लिए अध्ययक वर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

II THE	पदों की सं	लय, दिल्ली		वेतनमान		सीधी भर्ती वाले उम्मीद-	क्या (पेंशन)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से
पंदनाम	YGI WI	હ્યા વગાવ	न रेण	991417	स्था ५५ ह अथवा गैर चयन पद	वारों के लिए आयु-सीमा	कंन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्म है ?	स्तावा मता पाल उन्नादनारा र अपेक्षित शैक्षिक व अन्य कोग्यतार
1	2	3		4	5	6	6क	7
कार्यक्रम श्र धिकारी (समाकलित बाल विकास परियोजना)	*इसमें	सामान्य सेवा राष् ग्रालिपिकीय है।	जपन्नित य	700-40-9 द०रो०-4 1100-50-1	0- 1300&	हीं 35 वर्ष से प्रधिक नहीं हो (सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टीप : ग्रायु सीमा निर्धा- रित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे (ग्रंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्ष- द्वीप समूह के उम्मीद- वारों के ग्रलावा) उम्मीदवारों से श्रावेदन पत्र प्राप्त करने की श्रान्तम तारीख होगी।	। नहीं	श्रानिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त् विश्वविद्यालय से समाज्ञ कार्य/ग्रयं शास्त्र/सांख्यिकी राजनीति विज्ञान/पौपाहा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर क् उपाधि या इसके समकक्ष्योग्यता। (2) समाज कार्य में पांच वर्य का अनुभव, जिसमें किस् सरकारी/ग्रद्धं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था व किसी पर्यवेक्षणीय पद पर तीन वर्ष का प्रशासनिक् श्रमुभव शामिल है। टीप: 1 ग्रन्थया सुयोग्य उम्मीद वारों के मामले में योग्यता संघ लोक सेवा श्रायोग्य
								के विवेक पर शिथिलनी हैं। टीप: 2 यदि चयन की किस्
+ 1								प्रवस्था में संघ लोक सेव प्रवस्था में संघ लोक सेव प्रायोग का यह मत हो कि प्रपेक्षित ग्रेनुभव रख वाले ग्रनुसूचित जातिय ग्रीर जनजातियों
				1	J.,			उम्मीदवारों के लिये ब्रान् क्षित रिक्त पदों को भूर
		in .		481. Acc	iąy _a			के लिये उपयुक्त सं <mark>०</mark> उम्मीदवारों के उपलब होने की संभावना नहीं
								तो इन जातियों उम्मीदवारों के मामले योग्यताएं संघ लोक से धायोग के विवेक पू शिथिलनीय हैं।
								वांछनीय : (1) बाल विकास कल्याण/विशेष परामा
						W.		श्रायोजन सांख्यिकी/नी निर्धारण में विशेष श्रनुभव (2)हिन्दी का ज्ञान

क्या सीधी भती के उम्मीदवारों अवधि यदि कोई या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनिय-के लिए निर्धारित हो ग्राय व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति उम्मीदवारों

क्ति/स्थानांतरण द्वारा वाली रिक्तियों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्था-नान्तरणद्वारा भर्ती होनी हो तो वे समिति है तो उसकी संरचना तथा येड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति क्या है विभिन्न पहतियों से गरी जाने स्थानस्तरण किया जाना है।

जायेगी।

परिस्थितियां संघ लोक सेवा ग्रायोग का परामगं भर्ती के ित त्यता जाना है

पर भी लागू होंगी					
8	9	10	11	12	12
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती इ.एरा।	लागू नहीं	'क' वर्गीय विभागीय पदी- न्नित समिति (पुष्टि- करण पर विचार करने के लिये) (क) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन दिल्ली—— ग्रध्यक्ष	सीधी भर्ती तथा इन नियमों के किसी उपबन्धें को संगोधित/ शिथिल करते समय संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श ग्रावश्यक है।
				(ख) प्रशासन के संबंधित सचिवसदस्य	
				(ग) सम्बन्धित विभागा- ध्यक्ष जबिक वह प्रशासन में पदेन सचिय न हो सदस्य	
				दीप :पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय पदोन्निति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई	
				जायेगी। यदि आयोग इसको अपना अनु- मोदन प्रदान नहीं करता है, तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष	
				या उसके किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में नयी बैठक ग्रायोजित की	

टीप: -- 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए ग्रायु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य ग्रादेशों के श्रनुसार शिथिलनीय होगी।

- 2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए श्रादेशों के अनुसार श्रनसृचित जातियों भीर भ्रन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित भारक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पित्तयां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी नर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेंगे।
- 4. अर्ती नियमों के कालम-6 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (श्रंडमान व निकोबार द्वीप समूह ग्रीर लक्ष द्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से ग्रावेदनों की प्राप्ति के लिए ग्रन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, श्राय-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजनार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F. 2(35)/81-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968, the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Programme Officer (Integrated Child Developme Scheme) in the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration, Delhi.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF THE PROGRAMME OFFICER (INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT

Name of Post	No. Cl of posts	assification Sc	eale of Pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible	Educational and other quali- fications required for direct recruits
TO THE STATE OF TH						under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	6a	7
amme Office (Integrated Child Development Scheme)	r 1* (1981) *Subjet to variation dependent on work- load.	Gazetted Non-	Rs. 700-40 900-EB-40- 1100-50-130		Not exceeding 3 years. (Relaxable upto 5 years for Govt. Servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing		Essential: (i) At least Second Class Master's Degree in Socia Work/Economics/ Statis tics/Political Science Nutrition of a recognise University or equivalent (ii) 5 years' experience in social work including

date for receipt of applications from candidates

in India (Other than those in Andaman & Nicobar and Islands Lakshadweep)

three years administrative experience in a supervisory post in any Govt./ Semi-Govt./recognised Institution.

Note 1. Qualifications relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill p the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Special experience in Child Development/Welfare/special advice/ planning/statistics/policy formulation.
- (ii) Knowledge of Hindi,



Whether age educational questions prese for direct receivill apply in case of promo	ribed if any uits, the	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by depu- tation/transfer & per- centage of the vacan- cies to be filled by various methods	In case of rectt: by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/de- putation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consul- ted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
N.A.	2 years	By direct recruitment.	N.A.	Group 'A' DPC (for considering confirmation) (a) Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi. —Chairman. (b) Secretary concerned in the Admn. —Member. (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Admn. —Member.	Consultation: with the UPSC necessary while making direct recruitment and amending/relaxing any of the provisions of these rules.
				Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the	

Notes :-

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued form time to time by the Central Government.

DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central
- 3. No male candidate who has more than one wife living or no femal ea candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation
- 4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshafor determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges, the crucial date mit the names.

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1981

संख्या फा॰ 2(36)/81-सेवा (2):—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की ग्रधिसूचना संख्या एफ॰ 24/78/68-डी॰ एच॰ (एस॰) के साथ पठित संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परासर्थ करने के बाद दिल्ली प्रशासन दिल्ली के अधीन लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ आहार-विद के पद पर नियुक्ति के लिय आवश्यक भर्ती पढित तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

	लोक नायव	ह जय प्रकाश नारायण	ग्रस्पताल, दिल्ली	प्रशासन, दिल्ल	ति में वरिष्ठ ग्राहारविद् के पद	क भता नियम	
पदनाम	पदों की संख्या		वेतनमान		सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए ग्रायु-सीमा		सीधी भर्ती वाले उम्भीदवारों से शैक्षिक वश्रन्य योग्यता र
-	2	3	4	5	6	6市	7
1 विरष्ट ग्राहारिवद्	2 *एक (1981) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	व वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपितत अलिपिकीय	4 650-30-740- 35-810-द०पो०- 35-880-40- 1000-द०पो०- 40-1200-च्या	5 चयन	वि अवर्ष से अधिक न हों (सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक की छूट। टीप:—आय् सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समृह के उम्मीद- वारों के अलावा) उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	नहीं ग्र	तिवार्यः किसी मन्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राहार श्रीर पोष या आहार श्रीर पोष में विशेषज्ञता के साथ गृह विज्ञान/गृह श्रवंशास्त्र स्नातकोत्तर उपाधि या इस समकक्ष कोई योग्यता तथ किसी श्रस्पताल में श्राहा विभाग में दो वर्ष व व्यवहारिक अनुभव श्रयवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोषण विशेष विष्व विष्य ते पोषण विशेष विष्य ते पोषण विशेष विष्य ते पोषण विशेष विष्य ते पोषण विशेष विष्य ते पोषण श्राहार मान्यता प्राप्त संस्या श्राहार मान्यता प्राप्त संस्या श्राहार में स्नातकोत्त ज्ञिष्य वर्ष का व्यवहारि श्रम्भः । टीर 1 — अन्यता स्राप्त संस्या श्राहार मान्यता प्राप्त संस्या श्राहार मान्यता प्राप्त संस्या श्राहार श्री का व्यवहारि श्रम्भः । टीर 1 — अन्यता स्राप्त संस्या पाच वर्ष का व्यवहारि श्रम्भः । टीर 1 — अन्यता स्राप्त संस्या स्रायोग के विवेक पर शिष्टि श्रायोग के विवेक पर शिष्टि श्रायोग के विवेक पर शिष्टि श्रायोग का यह मत हो स्रायोग का यह मत हो श्रोपित श्रम्भावता हो सम्भावता हो लए श्रारक्षित सन्त प्राप्त संस्या में उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीदवार उपल्य होने की सम्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मी
							हान की सन्भावना नहीं तो इन जातियों के उम्मीय बारों के मामले में योग्यता संच लोक सेवा श्रायोग विवेक पर खिथिलनीय हैं वांछनीय: पोषण के क्षेत्र तथा/य इससे सम्बन्धित विषयों

लाग होंगी

क्या सीधी भर्ती के परिवीक्षा की उम्मीदवारों के लिए अविध यदि कोई निर्धारित आयु व हो शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियु-क्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत यदि पदोन्ति/प्रतिनियुक्ति/स्था-नांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्निति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति सभिति है तो उसकी संरचना क्या है

परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा स्रायोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाना है

13

सीधी भर्ती. प्रतिनियु-

कित पर किसी अधि-कारी को नियुक्त करने

के लिए चयन ग्रीर इन

नियमों के किसी उप-

 8
 9

 नहीं
 दो वर्ष
 पर

पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के नहोने पर सीधी भर्ती द्वारा।

10

पदोन्नति: जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवाहो वे ग्राहारविद्। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण्:

 केन्द्रीय/राज्य सरकारों ग्रौर संघ राज्य क्षेत्रों के निम्न-लिखित ग्रधिकारी:—

(1) समस्त पदाधिकारी या

(2) 550-900 रुपये के वेतन-मान में या इसके समकक्ष वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा वाले या

(3) 425-700 रुपये के वेतन-नान में या इसके समकक्ष वेतनमान में ग्राठ वर्ष की सेवा वाले तथा

वष को सवा वाल तथा
2 कालम 7 के नीचे सीधी
भर्ती वाले उम्मीदैवारों के
लिये निर्धारित गैक्षिक
योग्यताएं एवं अनुभव रखने
वाले (प्रतिनियुक्ति की अवधि
सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक
नहीं होगी)।

'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :

12

(पदोन्नित पर विचार करने के लिए)

1. विकास ग्रायुक्त दिल्ली बन्ध को संशोधित/ प्रशासन, दिल्ली— शिथिल करते समय ग्रध्यक्ष स्व लोक सेवा ग्रायोग

 प्रशासिनक सचिव या से परामर्श करना ग्राबकारी ग्रायुक्त ग्रावश्यक है। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—— सदस्य

 संयुक्त सचिव (सेवा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली- – सदस्य

4. जहां पर ग्रनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों पर विचार करना हो, वहां पर ग्रनुसूचित जातियों/ जन जातियों से सम्बन्धित विल्ली प्रशासन का वह ग्रधिकारी, जो ग्रतिरिक्त जिलाधीश/संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो—— सदस्य

ख वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये)

1. विकास ग्रायुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली— ग्रध्यक्ष

2. सम्बन्धित सचिव— सदस्य

 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जबिक वे प्रशासन में पदेन सचिव न हो--सदस्य

टीप : किसी सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार की पुष्टिकरण से सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई जायेगी यदि आयोग इसको अपना अनुमोदन प्रदान करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभा-गीय पदोन्नति समिति की नयी बैंडक बुलाई जायेगी।

टीपः— 1. ऋनुसूचित जाति/जनजाति तथा ऋन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में बीधी भर्ती के लिए ऋायु सीमा केन्द्रीय संरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य ऋादेशों के ऋनुसार शिथिलनीय होगी ।

^{2.} इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों परकोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

- 3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है. सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पान नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रणासक इस बात से संतुष्ट ही जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष ग्राधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देसकोंगें।
- 4. भर्ती नियम के कालम 6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समृह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवार से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पढ़ों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह प्रन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए अग्रह किया जाता है।

एस० एल० बंसल, उप-सचिव

Delhi, the 15th December, 1981

No. F. 2(36)/81-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 24/78/68/DH(S), dated 24-9-68, the Administrator of the Union Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Senior Dietician in the Lok Nayak Jai Prakash Narain Hospital, New Delhi under Delhi Administration, Delhi.

By order and in the name of the Administrator of the Union Territory of Delhi,

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of senior dietician in the Lok Nayak Jai Prakash Narain Hospital: Delhi Administration: Delhi.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post		Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
Senior Dietici	(1981) *Subject to variation	Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740 35-810-EB-35- 880-40-1000- EB-40-1200.		Not exceeding 30 years. (Relaxable upto 5 years for Govt. Servants.). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep		Essential: (i) Master's Degree in Food and Nutrition or Home Science/Home Economics with specialisation in Food and Nutrition of a recognised University or equivalent and two year's practical experience in the Dietetics Department of a Hospital. OR B. Sc. (Home Science/Home Economics) with Nutrition as special subject from recognised University or equivalent with postgraduate Diploma in Dietetics from a recognised Institution and five years' practical experience in Dietetics Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Research / Practical experience in the field of Nutrition and/or related subject.



Whether age and Period of educational qualiprobation, fications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees

by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods

Metohd of rectt. whether In case of rectt. by promotion/ If a DPC exists, what is deput tion/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made

its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

No

2 years

By promotion failing which by transfer on Dietician with three years' deputation and failing both by direct recruitment.

Promotion:

regular service in the grade. Transfer on deputation:

- 1. Officers under the Central/ State Governments and Union Territories :-
 - (i) holding posts; or
 - (ii) with three years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or
 - (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and
- 2. Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

Group 'B' DPC (for considering promotion):

- 1. Development Commissioner, Delhi Administration, Delhi-Chairman.
- analogous 2. Administrative Secretary or Excise Commissioner, Delhi Admn. Delhi-Member.
 - 3. Joint Secretary (Services), Delhi, Administration, Delhi, these rules. -Member.
 - 4. An officer belonging to Scheduled Caste/ Tribes Community not below the rank of ADM/Joint Secretary in Delhi Administration cases where in SC/ST candidates are considered-Member. Group 'B' DPC (for considering confirmation)
 - (a) Development Commissioner, Delhi, Administration, Delhi-Chairman.
 - (b) Secretary concerned -Member.
 - (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary -Member.

Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for If, howapproval. ever, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Consultation with the Union Public Service Commission while making direct recruitment, selecting an officer appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of

Note :-

The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduld Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.

- 2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
- 4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

S. L. BANSAL, Dy. Secy.

अर्थ एवं सांख्यिकी कार्यालय/BUREAU OF ECONOMICS & STATISTICS

अधिसूचना/NOTIFICATION

दिल्ली, 15 दिसम्बर 1981/Delhi, the 15th December, 1981

सं० एफ पी०/3/4/बी०ई०एस०/81-1.1374 —िदनांक 4-12-81 को समाप्त होने वाले पक्ष के अन्तिम दिन का दिल्ली के बाजार में थोक मावों का पक्षिक विवरण ।

- नोटः— 1. जब तक कोई अन्य स्पष्टीकरण न हो , वस्तुग्रों के भाव रुपयों में प्रति विवन्टल (100 किलोग्राम) के हिसाब से दिए गए समझने चाहिएं।
 - 2. जहां पर वस्तुम्रों की किसी खास किस्म के बारे में निर्देश न हो, वहां प्रच्छी भौसत किस्म से ही मतलब समझना चाहिए।
 - 3. इस विवरण में जहां शब्द "नहीं है" लिखा हुआ है उसका यह अयं लगाना चाहिए कि वह वस्तु धाजार में नहीं मिली है, तथा "नि• मू•" का अर्थ है "नियंत्रित मूल्य" (कन्द्रोल किए हुए मूल्य)।

No. F.P. 3/4/B.E.S./81-11374—FORTNIGHTLY RETURN OF WHOLESALE PRICES PREVAILING IN DELHI MARKET ON THE LAST DAY OF THE FORTNIGHT ENDING THE 4-12-81.

- NOTE: -1. Prices are in rupees per quintal (100 kilograms) unless otherwise stated.
 - 2. Where there is no reference to any specific quality, fair average quality is implied.
 - 3. Abbreviations: (i) N.Q.—Not quoted, (ii) 'C'—Controlled price, (iii) N.A.—Not available.

बस्तुएं Commodities	किस्म Variety/quality	६काई Units	भाव Rates	विवरण Remarks
1	2	3	4	5
], ग्रन्न		प्रति विवन्टल	Ę.	
Ce eals		Per quintal	Rs.	
1. चानल —Rice	बासमती			
	Basmati परमन	"	450.00 to 650.00	
	Permal		300.00 to 320.00	
			202.10	'C'
	बेगमी			
	Begmi (I. R. 8)	,,	210.00 to 220.00	

			,	103
1	2	3	4	5
I. भ्रन्न—(चाल्)		प्रति क्विन्टल	€o	
CEREALS—(Con	itd.)	Per quintal	Rs.	
2. गॅहWheat	देसी			
	Desi कल्याण	,,	200.00 to 210.00	
	Kalyan	99	170.00 to 180.00 145.10	'C'
3. गेहूं का मादा Wheat Flour	न्नाटा Atta (Kalyan)	90 किलो की बोरी 90 kg. B ag	180.00	
4. ज्वार				
Jowar		,	160.00 to 170.00	
5. जी Barley			105 00 : 100 00	
6. बाजरा		,	125.00 to 130.00	
Bajra		,	150.00 to 160.00	
7. मक्का Maize			160.00 : 150.00	
8. सहायक खाद्य फसलें।		"	160.00 to 170.00	
Subsidiary Food C	rops:			
शकरकन्दी		प्रति 40 किलोग्राम		
Sweet Potatoes		Per 40 Kg.	40.00 to 48.00	
PULSES (Whole p	ulses)—			
	गरारा	प्रति क्विन्टल		
	Grara	Per quintal	320.00 to 340.00	
1. चना	पीला		220.00 10 340.00	
Gram	Peela	,,	360,00 to 380,00	
2. ग्ररहर				
Arhar		,,	290.00 to 300.00	
3. मूंग Mung	देसी			
	Desi	,	320.00 to 360.00	
4. वर्ष Urd	काले			
5. मसूर -	Black		240.00 to 280.00	
Massur		Ď	320.00 to 370.00	
6. भ्रन्य दालें :				
Other Pulses				
(क) मोठ				
Moth		,	310.00 to 315.00	
(ख) चना Gram	काबुली Voluti			
(ग) राजमा	Kabuli चितरा	,	350.00 to 475.00	
Rajma	चितरा Chitra	,,	330.00 to 350.00	
(ष) लोबिया सफेद			330.00 10 330.00	
Lobia White		,	300.00 to 400.00	1
(ङ) मटर सफीद Peas White	सूखी			
T cas Wille	Dry	,,	380.00 to 400.00	



T. I	2	3	4	5
III. चीनो तथा गुड़— SUGAR AND GUR—			रुपये Rs.	
1. गुड़ Gur		ति विवन्टल Per Quintal	260.00 to 280.00	
2. चीनी दानेदार Sugar Crystal		,,	600.00 to 620.00	
3. खांडसारी Khandsari		31	475.00 to 525.00	
4. देसी खांड Sugar Desi	बूस Bura		520.00 to 560.00	
IV. तिलहन के बीज, तेल तथा खल OIL SEEDS, OIL AND OIL-CAKES				
1. मूंगफली का तेल Groundnut Oil		***	1200.00	
2. मूंगफली Groundnut	(1) छिलकेदार (साबत) Shelled	,	440.00 to 460.00	
	(2) छिली हुई Unshelled	,	540.00 to 580.00	
3 मूंगफली की खल Groundnut Oil-cake		70	150.00 to 160.00	
4 ग्ररंडी का तेल Castor Oil		,	710.00	
5. सरसों Rapeseed 6. सरसों का तेल	(1) कच्ची घानी	,,	380.00 to 430.00	
6. सर्वा का तल Mustard Oil	Kachchi Ghani (2) पक्की घानी	,,	1300.00 to 1350.00	
	Pakki Ghani	,»	1150.00 to 1200.00	
7. सरसों की खल Mustard Oil-cake	(i) Papri	"	140.00 to 150.00	
8. ग्रनसी Linseed		,	N.A.	
9. ग्रलसी का तेल Linseed Oil 10. नारियल	(1) हरा	» प्रति सौ इकाइयां	1140.00	
Coconut	Green (2) सुखा	Per 100 प्रति क्विन्टल	180.00 to 200.00	
	Dry	Per quintal	1500.00 to 1600.00	
11. नारियल का तेल Coconut Oil	(1) साफ किया हुम्रा Refined	प्रति दिन 15.5 किलो Per tin 15.5 kg.	N.A.	
	(2) बिना साफ किया हुआ Unrefined	प्रति क्विन्टल Per quintal	1400.00	
12. भ्रन्य तिलहन Other Oilseeds तिल—Tilseed	सकेद White	- 99	610.00	
13. वनस्पति तेल Vegetable Oils (Vanaspati)	(i) पनघट Panghat	प्रति टिन (16-1/2 किलोग्राम का) Per tin (16-1/2 kg.)	205.20	
14. भ्रन्य तेल Other Oils		प्रति क्विन्टल Per quintal		
(क) तिल का तेल (a) Til Oil		,,	1306.00 to 1375.00	
(ख) महुम्रा का तेल (b) Mahua Oil		,	930.00	

5

	DEETH GAZET	it., BELIII ADMINI	STRATION . DECEMBE	R 24, 1981/PAUSA 3, 1903
. 1		2	3	4
V. फल, सब्जिस FRUITS AND	तं तथा मेवे— S, VEGETABLES NUTS—			হ∙ Rs.
(a) फल Fruits				
1. आम Mango	e s		प्रति 40 किलोग्राम Per 40 Kg.	N. A.
2. केले Banana	ıs ·		प्रतिहुँदर्जन Per doz.	2.00 to 2.50
3. सन्तरे Orange	S		-	4.00 to 6.00
(b) सव्जियां Vegetab	les			
া. সালু Polatoe	S	(i) पहाड़ी Hill	प्रति 40 किलोग्राम P er 40 Kg.	N.A.
		(ii) देसी Desi	"	32.00 to 36.00
2. আজ Onions		(1) सु खा Dry (ii) हरी	n	70.00 to 80.00
3. टमाटर Tomato	neg.	Green	N N	32.00 to 40.00
4. हरी मटर Peas Gr		(i) देसी Desi	H.	64.00 to 80.00 140.00 to 160.00
		(ii) शिमला Simla	el e	N.A.
5. प्रवीं Arvies			,	64.00 to 72.00
6. कांसीफल Pumpk	in		,,	28,00 to 32.00
7. घीया Bottle (Gourd	103		32.00 to 36.00
(c) मेवे Nuts			प्रति विद्यन्टल	
Cashew 320/210			Per quintal	6500.00 to 7500.00
2. बादाम काट Almond 3. घखरोट	ls Katha		59	2000.00 to 2100.00
Walnut			n de	800,00 to 1200,00
s. चजूर	(Kandhari)		19	5000.00 to 6000.00
Dates			99	600 00 to 709.00

1	2	3	4	5
VI. तस्बाबर्			₹• Rs.	
TOBACCO— देसी Country		प्रति विवन्टल Per quintal	700.00 to 800.00	
VII. मदेशी LIVESTOCK—				
1. काम करने वाले पशु Work Cattle				
(a) बैल (4 या 6 दांत वाले) Bullock (4—6 teeth)	(i) पहले दर्जे का 1st Class	प्रति इकाई Per Head	2000.00	
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd Class	,	1500.00	
(b) भैंसा (4 या 6 बांत बाले) Buffalo bull (4—6 teeth)	(i) पहले दर्जे का 1st Class		1500.00	
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd Class	,,	1200.00	
2. दूध देने वाले पशु Milch Cattle				
(a) दूध देने वाली गाय	(i) पहले दर्जे की	प्रति इकाई Per Head		
(तीसरी बार व्याई हुई) Milch Cow (3rd lactation)	1st Class	Ter ricad	2000.00	
	(ii) दूसरे वर्जे की 2nd Class	,	1500.00	
(b) पैंस Buffalo	(i) पहले दर्जे की 1st Class	,	4000.00	
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd Class	,	3500:00	
3. भेड़		प्रति कोड़ी Per score	3600.00 to 3800.00	
Sheep 4. बकरी	一型 作为 题	1 et score	3000.00 to 5000.00	
Goat		,,	3800.00 to 4000.0	0
VIII. सबेशियों से प्राप्त बस्तुएं LIVESTOCK PRODUCT	s—			
1. कन Wool	(i) काली Black	प्रति विवन्टल Per quintal	600.00 to 700.00	
	(ii) गीजा Geeja	n	800,00 to 900,00	
	(iii) सफेद White	»	N.A.	
2. चमहा Hides				
(a) गाय का सूखा चमड़ा Cow Hide Dry	(i) पहले दर्जे का 1st quality	,	N.A.	
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	,,	N.A.	
(b) भैंस का कच्चा चमड़ा Buffalo Hide Raw	(i) पहले दर्जे का 1st quality	प्रति एक Each	30.00	
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	,	25.00	

कोई नियमित बाजार नहीं है, यहां पर जो भाव दिए गए हैं वे व्यक्तिगत सौदों पर आधारित हैं।

There is no regular Market; and rates quoted are those for individual transactions.



			70.7
1	2	3	4 5
(c) भैंस का सूखा चगड़ा Buffalo Hide Dry	(i) पहले दर्जे का	प्रति विवरटल	Rs. N.A.
	lst quality (ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	Per quintal	N,A.
3. खाल Skins (a) बकरी की कच्बी खाल	(i) यहले दर्जें की		
Goat Skin Raw	lst quality (ii) दूसरे दर्जे की	प्रति सौ इकाईयां Per 100	1800.00
(b) भेड़ की कच्ची खाल (ऊन स Sheep Skin Raw (with	1st quality	11	1200.00
wool) (c) मेड़ की सुखी खाल	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd quality (i) पहले दर्जे की	»	1000.00
Sheep Skin Dry	1st quality (ii) दूसरे दर्जे की 2nd quality		1200.00 800.00
4. षी:—Ghee	(i) महेश 'एग' माक Agmark M		3511.75
IX. चारा	(ii) खुला हुम। Ungraded	H	3250.00 to 3000.00
FODDER—			
ा. भूस। Straw	(i) गेहूं का Wheat (ii) चने का	, ,	42.00
2. करबी	Misa (Misa) सखी ज्वार	,	N.A.
Stalks	Jowar Dry		48.00
X, मसाने CONDIMENTS AND SPICES—			
1. हल्दी साबत Turmeric Whole		n	350.00 to 500.00
2. इमली	गुठली वाली Seeded देसी	n	290.00 to 380.00
i)ry Chillies 4. धमनूर	Desi	JA .	1200.00 to 1500.00
Amchur 5. व्यक्तिया	(<i>i</i>) बड़ा		800.00 to 1400.00
Coriander	Large (ii) छोटा	U	600.00 to 700.00
б. नमक Sult	Small मांभर Sambhar	प्रति बोरी 75 किलो ग्राम Per bag of 75 kg.	800.00 to 900.00 20.00
XI, अस्य MISCELLANEOUS— लकड़ी Timber		ong on 70 kg	20.00
(a) चीड़ C'hee! per Sleeper 10'×10 (b) जीवम		प्रति धन मीटर Per cubic metre	170.00
Sheesham Per Sleeper 4' × 8	8"×8" (i) चिरो हुई—Saw (ii) सावत—Unsay	ved ,,	1487.00 to 1558.00 1417.00 to 1487.00

के॰ डी॰ भाटिया, निदेशक K. D. BHATIA, Director, Bureau of Economics & Statistics

संख्या एफ॰ पी॰ /3/4/बी॰ई॰एस॰/81/11374---दिनांक 4-11-81 की समाप्त होने वाले पुत्र के अन्तिम दिन का दिल्ली के बाजार में फटकर भावों का पाक्षिक विवर्ग ।

- नोट:--1. किसी विशेष स्पष्टीकरण के न होने पर, वस्तुओं के भाव रुपयों में प्रति किलोग्राम (1000 ग्राम) के हिसाब से समझने चाहिएं। जहां पर वस्तुओं की किसी खास किस्म के बारे में निर्देश न हो, वहां अच्छी श्रीसत किस्म से ही मतलब समझन, चाहिए !
 - 2. इस विवरण में जहां "नहीं है" शब्द लिखा हुआ है, उसका अर्थ यह है कि वह वस्तु बाजार में नहीं मिली है,। "नि० मू० का अर्थ है नियंत्रित मूल्य (कन्द्रोल किए हुए मूल्य)।

No. F.P. 3/4/ B.E.S./81/11374.—FORTNIGHTLY RETURN OF RETAIL PRICES PREVAILING IN DELHI MARKET ON THE LAST DAY OF THE FORTNIGHT ENDING THE 4-11-81.

- Nore: 1. Prices are in rupees per kilogram unless otherwise stated. When quality is not specified, fair average quality is implied.

 - 2. Abbreviations:— (i) N.Q.=Not quoted.
- (ii) 'C' = Controlled price.
- (iii) N.A. = Not available.

षस्तुएं Commodities	किस्म Variety/quality	इकाई Unit	भाव Rates	अन्य Remarks
1	2	3	4	5
I. ধর			स्पये	
CEREALS-			Rs.	
1. चावल	बासमती	प्रतिकि० ग्रा•		
Rice	Basmati	Per kg.	5.50 to 7.00	
	परमल			
	Parmal		3 50 to 3.80	
			2.06	,C.
	वेगमी			
	Begmi (I.R.8)		2.60 to 2.70	
2. मेहूं	देसी			
wheat	Desi		2 10 to 2.20	
	क ल्याण		18 0 to 1.90 ·	
	Kalyan		1.49	C,
 गेहं का भाटा 	देसी			
प्र. गेहूं का भादा Wheat Flour	Desi		2.20 to 2.30	
	बाटा			
	Atta (Kalyan)	ia ,	2.10 to 2.20	
4. vait				
Jowar		"	1.70 to 1 80	
s. वाजरा				
Bajra			1 60 to 1.70	
6. al				
			1 35 to 1,40	
7. 中等和				
Maize		, ,	17.0 to 1.80	
8. म करकन्दी				
Sweet Potatoes			1.60 to 2.00	



-	1				
_		2	3	4	5
[]	. दार्जे PULSES—			रूपये Rs.	
	च वा	(i) साबत	प्रतिकि०ग्रा		
	Gra n	Whole (Garara)		3.80 to 4.00	
		(ii) बिना छिलके की दा	ल		
		Split without sk		4.50 to 4.60	
		(iii) बेसन			
		Besan	5 y	4.80 to 5.00	
		साबत -			
2	नरहर Arhar	Whole	,,	N.A.	
	(a) देसी	बिना छिलके की दाल			
	Desi	Split without skin		4.80 to 5.00	
	(b) कानपुरी	बिना छिलके की दाल			
	Kanpuri	Split without skin		5.20 to 5.40	
3	र्षुंग :	(i) साबत			
	Mung	Whole	3)	4.60 to 4.80	
		(ii) छिलके वाली दाल			
		Split with skin	,,	4.80 to 5.00	
		(iii) बिना छिलके की दाल		5 00 + 5 00	
		Split without skin	"	5.00 to 5.20	
4	काले उदं	(i) साबत			
	Urd Black	Whole	,,	3.40 to 3.80	
		(ii) छिलके वाली दाल			
		Split with skin	99	3.80 to 4.00	
		(iii) बिना छिलके की दाल Split without skin		4.50 to 5.00	
		Spite without skin	***	4.50 to 5.00	
	मसूर .	(i) साबत			
	Massur	Whole (ii) बिना छिलके की दाल	n	4.20 to 4.60	
		(ii) बिना छिलके की दाल Split without skin		4.60 to 4.80	
				7.00 10 4.00	
6.	अन्य दालें Other pulses—				
	(a) मोठ	सा वत			
	Moth	Whole	,,	3.80 to 4.00	
1	(b) चना	काबुली			
,	Gram c) राजमा	Kabuli	"	4.25 to 5.50	
(Rajma	चित्रा Chitra	,,	4.20 to 4.40	
(d) लोबिया सकेद				
,	Lobia White			4.00 to 5.00	
C	e) मटर सफेद Peas White	सृक्षी Dry	**	4.40 to 4.60	
HI	चीनी प्रोर गुड़				
	SUGAR AND GUR-				
1. 3		देसी			
	lur	Desi	•	3,20 to 3,40	



	2	3	4	5
			रुपये	
2. चीनी दानेदार Sugar Crystal		प्रति कि॰ ग्रा॰ Per kg.	Rs. 6.10 to 6.30	
3. खांडसारी Khandsari		"	5.00 to 5.50	
4. देसी खांड Sugar Desi	बूरा Bura	'n	5.50 to 6.00	
IV. तेल OILS—				
1. मूंगफली का तेल Groundnut Oil		,,	17.00	
2. घरंडी का तेल Castor Oil			8.50	
3. सरसों का तेल Mustard Oil	(i) कच्ची धानी Kachchi ghani (ii) पक्की घानी	P)	16.50	
	Pakki ghani	,	14.60	
4. मलसी का तेल Linseed Oil		15	14.00	
g. नारियल का तेल Coconut Oil	(i) साफ किया हुमा Refined	,	N.A.	
	(ii) बिना साफ किया हुआ Unrefined		18.00	
6. बनस्पति तेल Vegetable Oil	पनघट Panghat		12.59	
7. म्रन्य तेल Other Oils—				
(a) महुम्रा का तेल Mahua Öil		.,	12.00	
(b) तिल का तेल Til Oil		n	16.00	
V. सम्बद्धां, फल ग्रौर मेवे VEGETABLES, FRUITS AND NUTS—				
A. सिञ्जयां Vegetables—				
1. बालू Potatoes	(i) पहाड़ी Hill	,,	N.A.	
	(ii) वेसी Desi	3)	1.20 to 1.40	
‡ আজ Onions	(i) सूखी Dry	"	2.30 to 2.60	
	(ii) हरी Green		1.40 to 1.60	
3. टमाटर Tomatoes			2 50 to 3.00	



1	2	3	4	5
			इपये	
			Rs.	
4. हरी मटर	(1) शिमला	प्रति कि० प्रा॰		
Peas Green	Simla	Per kg.	N.A.	
	(ii) देसी			
	Desi	,,	4.50 to 5.00	
5 ग्रवी			0.50.4.0.00	
Arvies		"	2.50 to 3.00	
6 काँसी कल				
Pumpkin		·	1.40 to 1.50	
7. बीया			新教養的基本企業的	
Bottle gourd			1.40 to 1.60	
		n .	1.40 to 1.00	
8. झन्य मौसमी सन्जियाँ				
Other seasonal				
vegetables—				
(a) Brinjals (Rou		•	1,50 to 2,00	
(b) Spinach Cou	intry		0.80 to 1.00	
(c) Turnips			1.60 to 2.00	
(d) Cauliflower		0	1.50 to 2.00	
B) फल				
Fruits -				
1. भ्राम				
Mango		,,	N.A.	
2. केले				
Bananas		प्रति दर्जन	0.50 4 0.00	
		Per dozen	2.50 to 3.00	
3. संतरे				
Oranges		,,	6.00 to 8.00	
C) मेवे — .				
Nuis-				
1. काजू 320/210		प्रति कि पा•		
Cashewnut 320/210		Per kg.	70.00 to 78.00	
2. बादाम काठा		ror kg.	70.00 to 78.00	
Almond katha			22 00 4- 24 00	
		**	23.00 to 24.00	
3. मखरोट				
Walnut		0.0	10.00 to 14.00	
4. किशमिश				
Raisin Kandhari		,,	55.00 to 65.00	
5 खजूर	सूखे			
Dates	Dry		8.00 to 9.00	
I. तस्वाक्	पत्ती देसी			
TOBACCO-	Leaf		9.00 to 10.00	
II. मबेशियों से प्राप्त बस्तुएं				
LIVESTOCK				
PRODUCTS-				
		प्रति लिटर		
ा. दूध Milk		Per litre	3,40 to 3,60	
TVA II D			2 40 10 2 00	



1	2	3	4	5
			६ पथे	
			Rs.	
2. घी Ghee	(i) महेश "एग मार्क"	प्रतिकि० ग्रा०	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
Office	"Agmark" Mah		42.25	
	(खुला हुम्रा)			
	Ungraded	,,	33.00 to 33.50	
3. ग्रंडे	(i) बिना श्रेणी वाले	प्रति दर्जन		
Eggs	Ungraded	Per dozen	6.30	
	(ii) प्रथम श्रेणी वाले Grade 'A'		6.50	
	(iii) द्वितीय श्रेणी वाले	"	0.30	
	Grade 'B'		6.40	
	(iy) तृतीय श्रेणी वाले			
	Grade 'C'	"	6.30	
4. भेड़ बकरे का गोश्त Mutton	(i) हवाल 	प्रतिकि० ग्रा•	17 00 . 10 06	
Mutton	Halal (ii) झटका	Per kg.	17.00 to 18.00	
	Jhatka		17.00 to 18.00	
VIII. मसाले ब्रादि—				
CONDIMENTS AND SPICES—				
1. हल्दी साबत				
Turmeric Whole		19	5.00 to 6.50	
2. इमली	(i) गुडली बाली			
Tamarind	Seeded	,,	4.00 to 4.50	
	(ii) बिना गुठली वाली Unseeded		10 00 to 11.00	
3. सूखी ज़ाल मिचं	देसी	"	10 00 10 11.00	
Chillies Dry	Desi .		14.00 to 17.00	
4. धनिया	(i) agi			
Coriander	Large	•	8.00 to 9.00	
	(ii) छोटा			
	Small	,	10. 0 0 to 11.00	
s. ग्रमचूर Amchur	नया/पुराना New/Old		10.00 to 16.00	
6. नमक	सांभर	Þf	10.00 10 10.00	
Salt	Sambhar		0.40	
IX. अन्य MISCELLANEOUS –				
1. मिट्टी का तेल		प्रति लिटर		
Kerosene Oil		Per litre	1.81	·C
2. जलाने की लकड़ी	कवाड़	प्रति क्विन्टल		
Firewood	Kabar	Per quintal	55.00 to 60.00	
3. लक्ड़ी का कोयला	सूखा			
Charcoal	Dry		100.00 to 110.00	

Nu cutt (Leather)

के॰ डी॰ भाटिया, निदेशक K. D. BHATIA, Director Bureau of Economics & Statistics

74.85